

राजस्थान सरकार
शिक्षा (गुप-3) विभाग

क्रमांक: एफ.1(1)शिक्षा / गुप-3 / 2019

जयपुर, दिनांक:-31.01.2019

—: आदेश :-

राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) के निम्नांकित अधिकारियों को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर, उनके नाम के सम्मुख कॉलम सं.-6 में अंकित दिनांक को अपरान्ह से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम (श्री/श्रीमती/ सुश्री/डॉ.)	पदनाम	कॉलेज/ कार्यरत स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	रामदास मीना	प्राचार्य	राज. महा. राजाखेडा	07.01.1959	31.01.2019
2.	रमेश चन्द नसवारिया,	प्राचार्य	राज. महा. डीग	10.01.1959	31.01.2019
3.	तुलसीराम मेघवाल,	प्राचार्य	राज. महा. धरियावद	15.01.1959	31.01.2019
4.	पूरणमल मीना,	प्राचार्य	राज. महा. लालसोट	15.02.1959	28.02.2019
5.	भेरुलाल आचार्य,	प्राचार्य	राज. महा. चित्तौडगढ़	07.03.1959	31.03.2019
6.	विजय सिंह मीना,	प्राचार्य	राज. महा. वामनवास	03.04.1959	30.04.2019
7.	सीटा गुलाटी	प्राचार्य	राज. कन्या महा. कोटा	15.05.1959	31.05.2019
8.	कृष्ण कुमार गुप्ता	संयुक्त निदेशक	आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर	01.06.1959	31.05.2019
9.	जगदीश कुमार पुरोहित	प्राचार्य	राज. महा. जैसलमेर	22.05.1959	31.05.2019
10.	सहदेव दान	प्राचार्य	राज. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किशनगढ़	30.06.1959	30.06.2019
11.	ललिता मेहता	प्राचार्य	राज. महिला महाविद्यालय, बाडमेर	01.07.1959	30.06.2019
12.	ओमप्रकाश महावर	प्राचार्य	महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भरतपुर	26.06.1959	30.06.2019
13.	चन्द प्रकाश गौड	प्राचार्य	राज. बांगड महा. डीडवाना	01.07.1959	30.06.2019
14.	राजेन्द्र कुमार पूबिया	प्राचार्य	राज. कन्या महा. राजसमंद	12.06.1959	30.06.2019
15.	नन्द किशोर व्यास	प्राचार्य	राज.महा. खाजूवाला	09.06.1959	30.06.2019
16.	बाबू लाल बैरवा	प्राचार्य	राज. महा. महुवा	08.07.1959	31.07.2019
17.	मदन लाल	प्राचार्य	राज. वाणिज्य महा. सीकर	15.07.1959	31.07.2019
18.	अनुराधा शर्मा	प्राचार्य	राज. महा. नसीराबाद	06.07.1959	31.07.2019
19.	मनरूप सिंह मीना	प्राचार्य	राज. कन्या महा. धौलपुर	12.08.1959	31.08.2019
20.	गोविन्द प्रसाद गुप्ता	प्राचार्य	राज. कला महा. दोसा	27.08.1959	31.08.2019
21.	महावीर प्रसाद बजाज	प्राचार्य	राज. महा. नागौर	08.08.1959	31.08.2019
22.	राजप्रभा खंगारोत	प्राचार्य	राज. कन्या महा. चौमू, जयपुर	12.09.1959	30.09.2019
23.	अलका अग्रवाल	प्राचार्य	राज. स्नातकोत्तर महिला महा. झुन्झुनू	06.09.1959	30.09.2019

2/

निरन्तर-2

24.	विनय कुमार शर्मा	प्राचार्य	राज. महा. सागरलेक जयपुर	09.09.1959	30.09.2019
25.	उमाकान्त गुप्ता	प्राचार्य	राज. कन्या महा. धौकानेर	09.09.1959	30.09.2019
26.	रूपवती पीपल	प्राचार्य	राज. वाणिज्य कन्या महा. फोटा	31.10.1959	31.10.2019
27.	शिप्रा साहा	प्राचार्य	राज. महा. धायतु	05.11.1959	30.11.2019
28.	नन्द लाल मीणा	प्राचार्य	राज. महा. भांगरोल बारा	05.12.1959	31.12.2019
29.	किर्ति शेखावत	प्राचार्य	राज. महा. जयपुर	17.12.1959	31.12.2019

कार्मिक विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त तालिका में क्रम संख्या-14 पर अंकित श्री राजेन्द्र कुमार पूर्विया, प्राचार्य के विरुद्ध वर्तमान में प्रस्ताव स्तर पर विभागीय जांच विचाराधीन / लम्बित है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर तालिका में क्रम संख्या-14 पर अंकित अधिकारी को छोड़कर शेष नामित अधिकारियों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन / लम्बित नहीं है।

यह स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिये गये किसी प्रकार के ऋण शेष नहीं होने एवं अधिकारी के राजकीय आवास में अधिवासित होने की स्थिति में, उनकी रोपानिवृति की तिथि से दो माह की अवधि में राजकीय आवास रिक्त कराने की शर्त पर जारी की जाती है।

उक्त अधिकारियों के पेंशन परिलगों के नियमानुसार भुगतान में विलम्ब की स्थिति के लिए विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रामस्वरूप चौहान)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा।
4. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सम्बन्धित महाविद्यालय/अधिकारी द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एफ1()प्रशा./आकाशि/2019/2440

दिनांक:- 31.01.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संबंधित प्राचार्य / संबंधित अधिकारी।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक (प्रशासन/कार्मिक/अनुदान/अकादमिक/योजना एवं समन्वय) आयुक्तालय।
6. स्थापना शाखा कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
6. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर को अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर